आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद 36/13-14

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	*आदेश*	

प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 30/2013–14 महेश प्रसाद गुप्ता, पे0–स्व0 भोला प्रसाद साह, ग्राम–बेलदौर थाना–बेलदौर जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 98, दिनांक 13.01.2014 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है।

दाखिल अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति सं0 65 बी0/07 को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया और अनुज्ञप्ति को रद्र कर दिया गया जो प्रकृति न्याय नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 98, दिनांक 13.01.2014 को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति सं0 65 बी0/07 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत बेलदौर पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री महेश प्रसाद गुप्ता के अनुज्ञप्ति सं0 65 बी0/07 के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया को श्री लक्ष्मी शर्मा एवं अन्य अठारह उपभोक्ताओं तथा वीर कुंवर शर्मा लालगोल बेलदौर द्वारा दो आवेदन पत्र दिया गया, जिसपर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा दिनांक 09.12.2013 को अनुज्ञप्तिधारी के दूकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नांकित आरोप पाया गया।

1. सूचना पट संधारित नहीं पाया गया।
2. भंडार में 43 बोरा (21.50 क्वीं) चाँवल किरासन तेल लगभग 100 लीटर पाया गया। गेहूँ नहीं थां।
3. बिक्रेता से भंडार पंजी, बिक्री पंजी, निरीक्षण पंजी एवं शिकायत पंजी मांग किया गया। जिसमें मात्र किरासन तेल का भंडार पंजी उपलब्ध कराया गया। शेष किरासन तेल का बिक्री पंजी, खाद्यान का भंडार पंजी, बिक्री पंजी, निरीक्षण पंजी एवं शिकायत पंजी उपलब्ध नहीं

कराया गया। जिसके कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।

4. बिक्रेता द्वारा माह अगस्त 13 का खाद्यन का भुगतान सुदा कूपन नहीं दिया गया तथा किरासन तेल का भुगतान सुदा कूपन शतपतिशत जमा नहीं किया गया।

5. श्री वीर कुवर शर्मा, लालगोल बेलदौर द्वारा मांगी गई सूचना स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी की छायाप्रति निदेश देने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

6. आवेदनकर्त्ता श्री लक्ष्मण शर्मा एवं अन्य 18 उपभोक्तओं को अगस्त 13 एवं सितम्बर 2013 का खाद्यान उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि बिक्रेता द्वारा उठाव किया गया है।

उपरोक्त आरोपो पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा बिक्रेता श्री गुप्ता की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन (नियंत्रण) आदेश 2011 के कंडिका–7(2) के तहत श्री महेश प्रसाद गुप्ता पंचायत बेलदौर की अनुज्ञप्ति सं0 65 बी0 / 07 को रद्द किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए तथा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

अपीलार्थी अपील आवेदन दाखिल करने के बाद से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। परंतु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 98, दिनांक 13.01.2014 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया।

समाहर्त्ता, खगड़िया